Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

# DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

## SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

## DATE : 01-07-25

# The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

## Tuesday, 01 July, 2025

## Edition : International Table of Contents


| | |
|---|---|
| **Page 04**<br>**Syllabus : GS 1 : Social Issues** | रिपोर्ट बताती है कि बिहार लगातार जन्म पंजीकरण में पिछड़ रहा है। |
| **Page 04**<br>**Syllabus : GS 3 : Science & Technology** | ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सटीक निगरानी के लिए 52 उपग्रहों को तेजी से ट्रैक किया |
| **Page 04**<br>**Syllabus : GS 2 : International Relations** | चीन ने कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद जटिल है, सीमांकन वार्ता के लिए तैयार |
| **Page 06**<br>**Syllabus : GS 3 : Environment & Ecology** | 2024 के दौरान भारत के जीवों में 683 प्रजातियाँ और वनस्पतियों में 433 टैक्सा जोड़े गए |
| **Page 10**<br>**Syllabus : GS 3 : Science & Technology** | क्या जी.आई. टैग सांस्कृतिक दुरूपयोग को रोक सकता है? |
| **Page 08 : Editorial Analysis:**<br>**Syllabus : GS 2 : International Relations** | खतरनाक दुनिया में भारत को चाय की पत्तियों को अच्छी तरह समझना होगा |

## Page 04 : GS 1 : Social Issues

सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) 2009 की रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार में जन्म पंजीकरण में लगातार गिरावट आई है, और आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं। बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच यह मुद्दा फिर से महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें जन्म विवरण का दस्तावेजीकरण अनिवार्य है।

# Bihar has consistently fallen behind in registering births, report shows

Though registrations rose from 3.7% in 2000 to 16.9% in 2005, they were way behind national average of 56.2% and 62.5%, respectively; report comes amid voter roll revision in the State that has stipulated norms to establish a child's date of birth

**Vijaita Singh**
NEW DELHI

**A cute statistic:** Medical institutions are to report incidents of births and deaths within 21 days of the event's occurrence. AP

According to the 2009 Civil Registration System (CRS) report compiled by the Registrar-General of India (RGI), the level of registration of births in Bihar in 2000 stood at 3.7% compared with the national average of 56.2% the same year. The total number of births registered across the country in 2000 was 1,29,46,823.

For those born in 2004 and 2005, the level of registration in the State was 11.5% and 16.9%, respectively. The countrywide registration was 60.4% in 2004 and 62.5% in 2005. The total registered births in 2004 and 2005 were 1,57,77,612 and 1,63,94,625, respectively.

The 2009 report said that "in order to quantify the impact of Bihar and Uttar Pradesh, which are performing abysmally poor for the last so many years, the level of registration for the country excluding these two States have been worked out", which rose to 78.3% in 2005.

"On comparison of estimated and registered births, it is found that there is significant gap in estimated and registered births in Bihar, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh," the report said.

### Revision for election

The Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, which is currently going on in Bihar, stipulates that those born in India after December 2, 2004 would have to provide any of 11 documents, which include birth certificates, establishing their date of birth and/or place and furnish similar documents belonging to the father and mother of the applicant also. There were over 7.72 crore electors in Bihar during the 2024 Lok Sabha election.

The Election Commission of India (EC) on Monday said 4.96 crore electors do not need to submit any documents as they can verify their details from the 2003 electoral rolls when the last such exercise was carried out.

The Union Home Ministry amended the Registration of Births and Deaths Act, 1969 in 2023 that mandated digital birth certificates for those born after October 1, 2023 for admissions in schools, colleges and for updating electoral rolls.

However, periodic CRS reports show that not all births are registered. On March 17, the RGI office cautioned private and government hospitals to report incidents of births and deaths within 21 days after it was found that many medical institutions were flouting the law adding that nearly 10% births were not getting registered.

### CRS and SRS

"To get an idea as to the coverage of civil registration in the country, the data generated from the Civil Registration System (CRS) has been compared with corresponding estimates thrown up by the Sample Registration System (SRS)," the 2009 report said.

While the CRS is the actual numbers, the SRS is the largest demographic survey in the country mandated to provide annual estimates of fertility and mortality indicators at the State and national level.

The EC's move to conduct the SIR has invited criticism from Opposition parties terming it as a move to bring the National Register of Citizens (NRC) through the backdoor.

All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) president Asaduddin Owaisi said the government should furnish the data on total number of illegal migrants in the country.

"How is the BLO (Booth Level Officer) going to scrutinise the documents? Why should people pay penalty for government not keeping a check on illegal migrants.. We want to know the criteria that was followed during the SIR in 2003," Mr. Owaisi said.

In 2022, as many as 2,54,39,164 births were registered. In 2022, Bihar was among 14 States where 50%-80% births were registered in the stipulated 21-day period. The State registered 71% births within the prescribed limit of 21-days.

**मुख्य निष्कर्ष:**

- 2000 में, बिहार का जन्म पंजीकरण 3.7% था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 56.2% था।
- 2005 तक, बिहार में सुधार होकर 16.9% हो गया, जो अभी भी राष्ट्रीय औसत 62.5% से बहुत कम है।
- सीआरएस ने बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अनुमानित और पंजीकृत जन्मों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर देखा।
- 2022 में, बिहार ने 21 दिनों के भीतर 71% जन्मों का पंजीकरण किया, फिर भी यह अभी भी 50-80% अनुपालन ब्रैकेट में आता है।

**हाल के घटनाक्रम:**

- संशोधित जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023) के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए स्कूल में दाखिले और चुनावी अपडेट के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अब अनिवार्य हैं।
- चुनाव आयोग के एसआईआर अभ्यास में 2 दिसंबर, 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए जन्म तिथि और स्थान के प्रमाण की आवश्यकता होती है, जिससे कम पंजीकरण वाले क्षेत्रों में बहिष्कार और पहुँच के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
- राजनीतिक नेताओं सहित आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के दस्तावेज एनआरसी के समान नागरिकता सत्यापन के लिए एक प्रॉक्सी हो सकते हैं, जिससे वैध निवासियों के वंचित होने का जोखिम है।

**बिहार की पंजीकरण प्रणाली में चुनौतियाँ:**

1. कमजोर संस्थागत प्रवर्तन: स्पष्ट कानूनी बाध्यताओं के बावजूद, अस्पताल अक्सर अनिवार्य 21-दिवसीय अवधि के भीतर जन्मों की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं।
2. प्रशासनिक उदासीनता: मजबूत अनुवर्ती तंत्र की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में, अनुपालन को सीमित करती है।
3. कम जागरूकता: परिवार, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों में, जन्म पंजीकरण के महत्व और कानूनी उपयोगिता से अनभिज्ञ रहते हैं।
4. बुनियादी ढाँचे की कमी: प्रशिक्षित कर्मियों, डिजिटल प्रणालियों और स्थानीय निकायों और पंजीकरण कार्यालयों के बीच समन्वय की कमी।

**परिणाम:**

- लोकतांत्रिक अधिकार: अपर्याप्त जन्म पंजीकरण के कारण आयु और नागरिकता साबित करने में असमर्थता के कारण मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
- सामाजिक कल्याण पहुँच: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुँचने के लिए जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण हैं।
- डेटा विश्वसनीयता: खराब सीआरएस अनुपालन जनसांख्यिकीय नियोजन और सार्वजनिक नीति लक्ष्यीकरण की सटीकता को कमजोर करता है।

**आगे की राह:**

1. प्रवर्तन को मजबूत करें: 21 दिनों के भीतर जन्म की रिपोर्ट न करने वाले संस्थानों को दंडित करें और अनुपालन को प्रोत्साहित करें।

2. डिजिटल एकीकरण: सीआरएस प्लेटफार्मों के साथ चिकित्सा संस्थानों का वास्तविक समय में जुड़ाव सुनिश्चित करें।
3. जागरूकता अभियान: पंजीकरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, पंचायतों और मीडिया का उपयोग करें।
4. दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाएँ: कई पहचान प्रमाणों पर निर्भरता को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सरल बनाएँ।
5. अधिकारों की रक्षा करें: सुनिश्चित करें कि चुनावी समावेशन के लिए दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताएँ मनमाने ढंग से बहिष्करण या संदेह-आधारित सत्यापन की ओर न ले जाएँ।

**निष्कर्ष:**

- बिहार में जन्म पंजीकरण में लगातार अंतराल गहरी संरचनात्मक और संस्थागत कमियों को दर्शाता है। जबकि हाल के कानूनी सुधार और तकनीकी हस्तक्षेप नागरिक पंजीकरण में सुधार का अवसर प्रदान करते हैं, राज्य को समावेशी कार्यान्वयन, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक जागरूकता को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणालीगत खामियों के कारण किसी भी व्यक्ति की कानूनी पहचान और अधिकारों से वंचित न किया जाए।

## UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न: समावेशी शासन सुनिश्चित करने में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। बिहार जैसे राज्यों को इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? (250 Words)**

## Page 04: GS 3 : Science & Technology

ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक के जवाब में, जिसमें उपग्रह-आधारित निगरानी ने सैन्य तैयारियों को काफी हद तक बढ़ाया था, भारत सरकार ने 52 सटीक निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण को तेज़ कर दिया है। यह भारत की अंतरिक्ष-आधारित रक्षा क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है।

# India fast-tracks 52 satellites for precision surveillance following Operation Sindoor

**The Hindu Bureau**
NEW DELHI

**ISRO will make and launch the first 21 satellites, while private companies will handle the remaining 31**

After defence forces realised the need for more precision surveillance during Operation Sindoor, the Union government has ordered the fast-tracking of the launch of 52 dedicated surveillance satellites, enhancing round-the-clock monitoring of coastline and land borders.

In October last year, the Prime Minister Narendra Modi-led Cabinet Committee approved $3.2 billion for the SBS-III programme to develop next-generation satellites over the next decade. Under the programme, ISRO will manufacture and launch the first 21 satellites, while private companies will handle the remaining 31. The Defence Space Agency (DSA) will oversee the operation of the newly launched satellite system.

"We have asked the private companies and ISRO for early launch of satellites. We are expecting first set of satellites to be launched by 2026," said a senior official. The official added that the new satellites will be using artificial intelligence (AI) to make smarter decisions and improve overall performance and efficiency in space.

During Operation Sindoor, satellite-based surveillance helped Indian defence forces to act swiftly by offering accurate intelligence, including the trajectory and movement of drones and missiles. India's satellites, like the Cartosat and RISAT, helped defence forces to track enemy mobilisation, confirm strike impact, and maintain real-time situational awareness, which prevented any major damage to the country's military assets.

After the successful implementation of SBS-III, India will become more self-reliant and reduce its dependence on other countries. It will help focus more clearly and accurately on the Pakistan and China border and the Indian Ocean Region.

**मुख्य विशेषताएं:**

- यह पहल एसबीएस-III (अंतरिक्ष-आधारित निगरानी-III) कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति द्वारा $3.2 बिलियन में स्वीकृत किया गया था।
- इसरो पहले 21 उपग्रहों का विकास और प्रक्षेपण करेगा; निजी कंपनियां शेष 31 को संभालेंगी।
- इस प्रणाली का संचालन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) द्वारा किया जाएगा।
- उपग्रह बेहतर निर्णय लेने और वास्तविक समय में खतरे का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का लाभ उठाएंगे।
- प्रक्षेपणों का पहला सेट 2026 तक अपेक्षित है।

**रणनीतिक महत्व:**

**1. बढ़ी हुई सीमा निगरानी:**

- भूमि सीमाओं (विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ) और समुद्री क्षेत्र की निरंतर निगरानी।
- दुश्मन की सैन्य गतिविधियों, ड्रोन घुसपैठ और मिसाइल प्रक्षेपणों का पता लगाने और उन्हें रोकने की भारत की क्षमता में सुधार करता है।

**2. परिचालन तत्परता:**

- वास्तविक समय का डेटा तेजी से प्रतिक्रिया, सटीक लक्ष्य प्राप्ति और सटीक हमले सुनिश्चित करता है।
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कार्टोसैट और रीसैट जैसे उपग्रहों ने वास्तविक समय की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

**3. आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता:**

- विदेशी खुफिया प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है।
- रक्षा और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है।

**4. दोहरे उपयोग की क्षमता:**

- शांतिकाल के दौरान आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और आंतरिक सुरक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- AI एकीकरण डेटा विश्लेषण, संसाधन आवंटन और रणनीतिक योजना में सुधार करता है।

**चुनौतियाँ और विचार:**

**1. साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**

- सैन्य उपग्रह साइबर युद्ध, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- सुरक्षित ट्रांसमिशन और डेटा एन्क्रिप्शन के लिए मजबूत प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है।

**2. निजी क्षेत्र की भूमिका:**

- उपग्रह विकास को निजी खिलाड़ियों को सौंपने के लिए स्पष्ट नियामक ढाँचे, IPR स्पष्टता और प्रौद्योगिकी साझाकरण प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है।

**3. अंतरिक्ष मलबा और कक्षीय भीड़:**

- 52 नए उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में यातायात में योगदान दे सकते हैं, जिससे टकराव का जोखिम बढ़ सकता है।

**4. वैश्विक भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएँ:**

- आक्रामक निगरानी क्षमताओं को पड़ोसियों और वैश्विक शक्तियों द्वारा खतरे के रूप में माना जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष सैन्यीकरण की चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

**आगे की राह:**

- संस्थागत सुदृढ़ीकरण: कानूनी समर्थन और परिचालन स्वायत्तता के साथ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी को सशक्त बनाना।
- सार्वजनिक-निजी तालमेल: समय पर डिलीवरी, नवाचार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए PPP मॉडल को कारगर बनाना।
- युद्ध में AI-नैतिकता: उपग्रह निगरानी और रक्षा अनुप्रयोगों में AI के नैतिक उपयोग पर दिशानिर्देश विकसित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति: भू-राजनीतिक घर्षण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

**निष्कर्ष:**

- ऑपरेशन सिंदूर के बाद 52 निगरानी उपग्रहों को तेजी से ट्रैक करने का भारत का निर्णय सैन्य आधुनिकीकरण, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी तैयारियों की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हाइब्रिड खतरों और सटीक युद्ध के युग में, अंतरिक्ष-आधारित खुफिया जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारशिला होगी। हालाँकि, इसे साइबर लचीलापन, नैतिक एआई उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ संतुलित किया जाना चाहिए ताकि टिकाऊ और सुरक्षित अंतरिक्ष शासन सुनिश्चित किया जा सके।

**UPSC Mains Practice Question**

**प्रश्न: भारत की बढ़ती रक्षा अंतरिक्ष क्षमताएँ वैश्विक अंतरिक्ष सैन्यीकरण में योगदान देने का जोखिम उठाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून और भारत की रणनीतिक ज़रूरतों के संदर्भ में इस कथन की जाँच करें। (250 words)**

## Page : 04 : GS 2 : International Relations

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चल रहे तनाव की पृष्ठभूमि में, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के क़िंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की (26 जून, 2025)। इस चर्चा ने सीमा निर्धारण पर लंबे समय से रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू किया, जो सतर्क कूटनीतिक गतिरोध का संकेत है।

# China says border dispute with India complicated, ready for delimitation talks

**Press Trust of India**
BEIJING

China on Monday said the boundary dispute with India was complicated and would take time to settle but at the same time, it expressed its readiness to hold discussions on the delimitation of the border and keep it peaceful.

Defence Minister Rajnath Singh, in his meeting with Chinese Defence Minister Dong Jun in Qingdao on June 26, proposed that India and China should solve the "complex issues" under a structured roadmap comprising steps to de-escalate tensions along the frontiers and rejuvenate the existing mechanism to demarcate the borders.

Mr. Singh and Mr. Dong held bilateral talks on the sidelines of a conclave of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in the Chinese port city of Qingdao.

Defence Minister Rajnath Singh with his Chinese counterpart Admiral Dong Jun.

Asked for China's reaction to Mr. Singh's remarks, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said, "What I can tell you is that China and India have established the Special Representatives (SRs) mechanism on the boundary question and reached the Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the China-India Boundary Question".

"China stands ready to maintain communication with India on issues, including delimitation negotiation and border management, jointly keep the border areas peaceful and tranquil, and promote cross-border exchange and cooperation," she said.

Questioned about the prolonged delay in resolving the border issue, Ms. Mao said, "The boundary question is complicated, and it takes time to settle it".

**प्रमुख घटनाक्रम:**

- भारत ने सीमा तनाव को हल करने और सीमा सीमांकन के तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक संरचित रोडमैप का प्रस्ताव रखा।
- चीन ने यह स्वीकार करते हुए जवाब दिया कि सीमा का सवाल "जटिल" है और इसे हल करने में समय लगेगा।

- बीजिंग ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) तंत्र के तहत परिसीमन चर्चा आयोजित करने की तत्परता व्यक्त की।
- यह बैठक 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद बातचीत और सैन्य विघटन को बहाल करने के कूटनीतिक प्रयास को दर्शाती है।

**परिसीमन वार्ता का महत्व:**

**1. ऐतिहासिक संदर्भ:**

o भारत-चीन सीमा विवाद पश्चिमी क्षेत्र (अक्साई चिन), मध्य क्षेत्र (हिमाचल-उत्तराखंड) और पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) तक फैला हुआ है।
o 1993, 1996 और 2005 के सीमा समझौतों के बावजूद, LAC की अलग-अलग धारणाओं के कारण विवाद अनसुलझा है।

**2. विशेष प्रतिनिधि तंत्र:**

o 2003 में स्थापित, इस तंत्र का उद्देश्य राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को तैयार करना है।
o 2005 के समझौते ने अंतिम समाधान के लिए आधार तैयार किया, लेकिन प्रगति धीमी रही है।

**3. हालिया तनाव:**

o 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से, सीमा पर तनाव बढ़ गया है।
o कई कोर कमांडर-स्तरीय वार्ताएँ हुई हैं, लेकिन तनाव में कमी आंशिक रूप से ही आई है।

**4. एक मंच के रूप में एससीओ:**

o शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्षेत्रीय सहयोग और संघर्ष समाधान के लिए एक तटस्थ बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है।
o क़िंगदाओ में बैठक दोनों देशों द्वारा क्षेत्रीय कूटनीति के एक संतुलित उपयोग को दर्शाती है।

**भारत के लिए निहितार्थ:**

**1. सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता:**

o निरंतर सीमा अनिश्चितता भारत के सैन्य संसाधनों को बढ़ाती है और इसके लिए एलएसी पर निरंतर उच्च सतर्कता की आवश्यकता होती है।
o भारत को कूटनीतिक जुड़ाव को रणनीतिक तैयारियों के साथ संतुलित करना चाहिए।

**2. भू-राजनीतिक गणनाएँ:**

o चीन के इस कदम का संबंध भारत की पश्चिम और क्वाड जैसे हिंद-प्रशांत समूहों के साथ बढ़ती निकटता को संतुलित करने की उसकी इच्छा से हो सकता है।

o भारत को अपनी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के साथ-साथ चीन के साथ जुड़ाव पर भी विचार करना चाहिए।

**3. आर्थिक और क्षेत्रीय संपर्क:**

o सीमाओं पर स्थिरता संभावित रूप से सीमा पार व्यापार, पर्यटन और हिमालयी क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ा सकती है।

**चुनौतियाँ और बाधाएँ:**

- आपसी अविश्वास: गलवान जैसी घटनाओं ने अविश्वास को गहरा किया है और विश्वास-निर्माण उपायों को कमज़ोर किया है।
- अलग-अलग रणनीतिक उद्देश्य: LAC के पास चीन का रणनीतिक बुनियादी ढाँचा निर्माण भारत के यथास्थिति के लिए प्रयास के विपरीत है।
- अस्पष्ट इरादे: शांति के लिए चीन की घोषित प्रतिबद्धता अक्सर ज़मीन पर मुखर व्यवहार के साथ टकराती है।
- परिसीमन की जटिलता: पारस्परिक रूप से स्वीकृत LAC मानचित्र की कमी परिसीमन वार्ता को तकनीकी और राजनीतिक रूप से कठिन बनाती है।

**आगे की राह:**

1. स्पष्ट समयसीमा और परिभाषित उद्देश्यों के साथ एसआर तंत्र को फिर से सक्रिय करना।
2. संरचित संवाद के माध्यम से तनाव कम करने और परिसीमन पर एक साथ प्रगति सुनिश्चित करना।
3. एकतरफा बदलावों को रोकने के लिए सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और निगरानी को मजबूत करना।
4. सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण सीमा क्षेत्रों में लोगों से लोगों और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना।
5. संचार में द्विपक्षीय पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए बहुपक्षीय (एससीओ, ब्रिक्स) संलग्न होना।

**निष्कर्ष:**

- भारत-चीन सीमा विवाद एशियाई भू-राजनीति में सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। जबकि परिसीमन वार्ता को फिर से शुरू करने की चीन की इच्छा एक कूटनीतिक अवसर प्रदान करती है, भारत को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी संप्रभुता, रणनीतिक हित और क्षेत्रीय संतुलन बरकरार रहे। स्थायी शांति के लिए आपसी सम्मान, पारदर्शिता और संवाद के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

**UPSC Mains Practice Question**

प्रश्न: भारत-चीन सीमा वार्ता में विशेष प्रतिनिधि (एसआर) तंत्र के महत्व का विश्लेषण करें। इसकी उपलब्धियाँ और सीमाएँ क्या हैं? (250 Words)

## Page 06 : GS 3 : Environment & Ecology

2024 में, भारत ने अपनी जैव विविधता सूची में महत्वपूर्ण वृद्धि की, जिसमें जीवों में 683 नई प्रजातियाँ और वनस्पतियों में 433 वर्ग शामिल किए गए। ये खोजें भारत की पारिस्थितिक समृद्धि और जैविक विविधता के दस्तावेजीकरण में वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका को उजागर करती हैं।

# 683 species added to India's fauna, 433 taxa to its flora during 2024

**Shiv Sahay Singh**
KOLKATA

India added 683 new species to its fauna in the year 2024, which included 459 new species and 224 species new records. The country also added 433 taxa of flora during the same period, which included 410 species and 23 infraspecific taxa of plants.

The details of new discoveries and new records were released by Union Minister for Environment Forest and Climate Change Bhupender Yadav in Kolkata on Monday.

The maximum number of new discoveries of fauna in 2024 was recorded from Kerala – with 101 species (80 new species and 21 new records) – followed by Karnataka – 82 (68 new species and 14 new records). Tamil Nadu recorded 63 discoveries with 50 new species and 13 new records.

In the east and northeast, Arunachal Pradesh recorded 72 animal discoveries (42 new species and 30 new records), Meghalaya 42 new discoveries (25 new species and 17 new records) and West Bengal 56 new discoveries (25 new species and 31 new records). Andaman and Nicobar Islands, another biological hotspot in the country, recorded 43 new discoveries of fauna from the region, which included 14 new discoveries of fauna and 29 new records.

**New entrants:** (clockwise from top left) *Hylarana chozhai*; *Coelogyne tripurensis*; *Anguiculus dicaprioi*. SPECIAL ARRANGEMENT

In terms of plant discoveries, the highest number of flora discovered were from Kerala (58), followed by Maharashtra (45) and Uttarakhand (40). The new plant discoveries for 2024 record 154 angiosperms, 4 pteridophytes, 15 bryophytes, 63 lichens, 156 fungi, 32 algae and 9 microbes. The hotspot regions such as Western Ghats and North-Eastern regions have contributed 35% of total discoveries. India has recorded and documented 56,177 species of plants – angiosperms, gymnosperms, pteridophytes, bryophytes, lichens, fungi, and algae etc.

The significant faunal discoveries for the year 2024 include two new genus and 37 species of reptiles and five new species of amphibians. The significant discovery of reptiles included *Dravidoseps gouensis*, belonging to the new genus, and *Anguiculus dicaprioi* is a member of Colubridae family, named after Hollywood star, Leonardo Di Caprio.

In terms of flora, the significant discoveries include important orchid species such as *Bulbophyllum gopalianum*, *Coelogyne tripurensis*, *Gastrodia indica* and *Gastrodia sikkimensis*.

**मुख्य विशेषताएँ:**

**जीव-जंतुओं की वृद्धि (2024):**

- कुल: 683 प्रजातियाँ (459 नई + 224 नए रिकॉर्ड)।
- सबसे अधिक योगदान: केरल (101), कर्नाटक (82), अरुणाचल प्रदेश (72)।
- उल्लेखनीय खोजें:
  - नया सरीसृप जीनस द्रविड़ोसेप्स गौएन्सिस।
  - लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर सांप की प्रजाति एंगुइकुलस डिकैप्रियोई का नाम रखा गया।
  - सरीसृपों की 37 नई प्रजातियाँ, 5 उभयचर।

**पुष्प वृद्धि (2024):**

- कुल: 433 टैक्सा (410 प्रजातियाँ + 23 इन्फ्रा-विशिष्ट टैक्सा)।
- सबसे अधिक पौधों की खोज: केरल (58), महाराष्ट्र (45), उत्तराखंड (40)।
- महत्वपूर्ण समूह:
  - एंजियोस्पर्म (154), कवक (156), लाइकेन (63), शैवाल (32), सूक्ष्मजीव (9)।
- उल्लेखनीय ऑर्किड: कोलोगिन ट्रिपुरेंसिस, गैस्ट्रोडिया इंडिका, बल्बोफिलम गोपालियानम।

**• हॉटस्पॉट योगदान:**

- पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत ने कुल जैव विविधता खोजों में 35% से अधिक का योगदान दिया।

**इन खोजों का महत्व:**

**1. जैव विविधता प्रलेखन और वर्गीकरण:**

- संरक्षण योजना, पारिस्थितिक अनुसंधान और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए महत्वपूर्ण।
- विकासवादी जीव विज्ञान, प्रजातियों के व्यवहार और आनुवंशिक विविधता की समझ को बढ़ाता है।

**2. भारत की वैश्विक जैव विविधता भूमिका:**

- 17 मेगा-जैव विविधता वाले देशों में से एक के रूप में, भारत के प्रलेखन प्रयास सीबीडी (जैविक विविधता पर सम्मेलन) और एसडीजी (विशेष रूप से एसडीजी 15 - भूमि पर जीवन) के तहत अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं का समर्थन करते हैं।

**3. हॉटस्पॉट का संरक्षण मूल्य:**

- पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के पारिस्थितिक महत्व को पुष्ट करता है।
- इन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आह्वान करता है।

**4. सार्वजनिक जागरूकता और पारिस्थितिकी पर्यटन:**

- एंगुइकुलस डिकैप्रियो जैसी प्रजातियों का नामकरण सार्वजनिक रुचि और संरक्षण के लिए समर्थन उत्पन्न कर सकता है।
- नई प्रजातियों की खोज जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में प्रकृति आधारित पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने में मदद करती है।

**चुनौतियाँ और चिंताएँ:**

- आवास की हानि और विखंडन: जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में चल रहे विकास दबाव नई खोजी गई प्रजातियों को समझे जाने से पहले ही खतरे में डाल सकते हैं।
- जलवायु परिवर्तन: पारिस्थितिक संतुलन को बदलता है, स्थानिक और नई खोजी गई वनस्पतियों और जीवों को खतरा पहुँचाता है।
- वर्गीकरण विशेषज्ञों और वित्त पोषण की कमी: वैज्ञानिक अन्वेषण और प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए अधिक प्रशिक्षित कर्मियों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

**आगे की राह:**

1. क्षेत्र सर्वेक्षण और वर्गीकरण के लिए ZSI, BSI और राज्य जैव विविधता बोर्ड जैसे वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत करें।
2. IUCN रेड लिस्ट आकलन सहित संरक्षण नीति में नई खोजों को एकीकृत करें।
3. समुदाय-आधारित संरक्षण को बढ़ावा दें, खासकर हॉटस्पॉट में।
4. कवक, लाइकेन, सूक्ष्मजीव जैसे कम ज्ञात जैव विविधता घटकों के बारे में जागरूकता और शिक्षा बढ़ाएँ।

**निष्कर्ष:**

- 2024 में भारत में 1,100 से अधिक नई प्रजातियाँ और टैक्सा शामिल होना न केवल देश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत को दर्शाता है, बल्कि जैव विविधता प्रलेखन और संरक्षण में निरंतर निवेश की आवश्यकता को भी दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन और मानवजनित दबाव बढ़ने के साथ, पारिस्थितिकी स्थिरता और सतत विकास के लिए प्रजातियों की समय पर पहचान और संरक्षण आवश्यक है।

**UPSC Prelims Practice Question**

**प्रश्न: भारत में जैव विविधता प्रलेखन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. 2024 में, भारत ने अपने जीव-जंतुओं के रिकॉर्ड में 600 से अधिक प्रजातियों को जोड़ा।
2. केरल ने 2024 में जीव-जंतुओं और पुष्पों की खोज में सबसे अधिक योगदान दिया।
3. एंगुइकुलस डिकैप्रियो प्रजाति आर्किड परिवार से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3 (C) केवल 1 (D) 1, 2 और 3

**उत्तर: A)**

## Page : 10 : GS 3 : Science & Technology.

25 जून, 2025 को इतालवी लक्जरी ब्रांड प्रादा ने अपने मिलान फैशन शो में कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित फुटवियर की एक लाइन का अनावरण किया - जो एक पारंपरिक भारतीय भौगोलिक संकेत (जीआई)-टैग वाला उत्पाद है। इसने सांस्कृतिक दुरुपयोग, जीआई संरक्षण के दायरे और वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक संपत्तियों की रक्षा के लिए भारत की तैयारियों पर नई बहस छेड़ दी है।

# Can a G.I. tag prevent cultural misappropriation?

How many Indian products are registered as GI-tagged goods? Do 'international' GI rights exist?

**Kartikey Singh**

**The story so far:**
On June 25, at its Spring/Summer 2026 menswear show in Milan, Italian luxury brand Prada unveiled footwear inspired by India's Geographical Indication (GI)-tagged Kolhapuri chappals, sparking accusations of 'cultural misappropriation'.

**What is a geographical indication?**
It is a form of 'intellectual property' that identifies goods as originating from a specific country, region or locality, where their distinctive qualities, characteristics, or reputation are essentially linked to that 'place of origin'. In India, there are currently 658 registered GI-tagged goods, including Chanderi sarees (Madhya Pradesh), Madhubani painting (Bihar), Pashmina shawls (J&K), Kancheepuram silk (Tamil Nadu), and Darjeeling tea (West Bengal). Importantly, GIs serve as a powerful marketing tool, driving rural development, boosting exports, enhancing consumer confidence, and preserving 'cultural knowledge' of local communities, farmers and indigenous groups. Unlike trademarks, which are owned by enterprises, GIs are public property belonging to the producers of the concerned goods and cannot be assigned, transmitted or licenced.

The legal protection of GIs stem from international instruments like the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883), and later gained a clearer definition under the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement, 1995. India, as a TRIPS signatory, enacted the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, which came into force in 2003. The Act provides for GI registration, enforcement of rights, prohibition of unauthorised use and penalties for infringement.

**How can infringement be tackled?**
The registered proprietor or authorised users may initiate infringement action when an unauthorised user misleads the public about the origin of goods, causes unfair competition or passing off, or falsely represents goods as originating from a GI-registered region. However, it is important to note that GI rights are primarily 'territorial' and consequently limited to the country (or region) where protection is granted. At present, no automatic 'world' or 'international' GI right exists. Nevertheless, several mechanisms exist for cross-border protection. GIs can be protected internationally by first securing recognition in the country of origin, as many jurisdictions require this as a precondition and then obtaining protection directly in the jurisdiction concerned.

**Is this the first such case?**
Indian traditional products have time and again suffered exploitation by global corporations. In 1997, the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) controversially granted a patent to Ricetec Inc., a Texas-based company, for novel "lines and grains" of Basmati rice. After significant Indian legal efforts, the USPTO disallowed the patent holder from using the name "Basmati". Similar challenges arose with 'turmeric' when the University of Mississippi medical centre was granted a patent in 1995 for turmeric's wound-healing properties – a use long known in Indian traditional medicine. The Council of Scientific and Industrial Research contested the claim, leading to the revocation of the patent. Likewise, the European Patent Office in 2000 revoked a patent granted to the U.S. Department of Agriculture and a multinational firm W.R. Grace, for neem-based antifungal formulations, as the therapeutic use of neem was already part of Indian knowledge systems. To prevent such cases in the future, one could start by expanding the Traditional Knowledge Digital Library to include wider traditional grassroots expressions. Making a 'searchable database' would allow brands to conduct due diligence and searches to identify right holder communities for collaboration.

*Kartikey Singh is a lawyer based in New Delhi. With inputs from Janhvi Singh.*

**THE GIST**

- Geographical indication is a form of 'intellectual property' that identifies goods as originating from a specific country, region or locality, where their distinctive qualities, characteristics, or reputation are essentially linked to that 'place of origin'.
- India, as a TRIPS signatory, enacted the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, which came into force in 2003.
- Indian traditional products have time and again suffered exploitation by global corporations.

### भौगोलिक संकेत (जीआई) क्या है?

- भौगोलिक संकेत (जीआई) बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को दर्शाता है, जहाँ उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषताएँ अनिवार्य रूप से उसके मूल स्थान से जुड़ी होती हैं।
- भारत में 658 पंजीकृत जीआई-टैग किए गए उत्पाद हैं (2024 तक), जैसे:
  - o दार्जिलिंग चाय, मधुबनी पेंटिंग, पश्मीना शॉल, कांचीपुरम सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, आदि।
- ट्रेडमार्क (निजी स्वामित्व वाले) के विपरीत, जीआई समुदाय के स्वामित्व वाले होते हैं, उन्हें हस्तांतरित या लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, और उनका उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है।

### कानूनी सुरक्षा ढांचा:

- **वैश्विक स्तर:**
  - o पेरिस कन्वेंशन (1883) और ट्रिप्स समझौते (1995) में निहित है।

- कोई सार्वभौमिक जीआई सुरक्षा मौजूद नहीं है - सुरक्षा क्षेत्रीय है और प्रत्येक देश में व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित होनी चाहिए।

- **भारत का कानून:**
  - भौगोलिक संकेत माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999, जो 2003 से लागू है।
  - स्थानीय उत्पादकों या पंजीकृत संघों को उल्लंघन की कार्रवाई शुरू करने, दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने और क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार देता है।

**सांस्कृतिक दुरुपयोग बनाम सांस्कृतिक प्रशंसा:**

- दुरुपयोग का तात्पर्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अनधिकृत उपयोग से है, जिसमें श्रेय, लाभ साझा करने या संदर्भ की समझ के बिना - अक्सर लाभ के लिए।
- प्रादा द्वारा कोल्हापुरी डिज़ाइन के उपयोग में कारीगर समुदायों की सहमति या सहयोग की कमी हो सकती है, जिससे नैतिक चिंताएँ पैदा हो सकती हैं।

- **यह पिछले उदाहरणों में देखे गए व्यापक पैटर्न को दर्शाता है:**
  - बासमती चावल (1997 - राइसटेक पेटेंट मामला)
  - हल्दी के उपचार गुण (1995 - मिसिसिपी विश्वविद्यालय)
  - नीम एंटीफंगल पेटेंट (2000 - डब्ल्यू.आर. ग्रेस मामला)

**सांस्कृतिक दुरुपयोग को रोकने में चुनौतियाँ:**

**1. जीआई अधिकारों की क्षेत्रीय सीमा:**

- जीआई संरक्षण केवल पंजीकृत अधिकार क्षेत्रों में ही मान्य है।
- भारत के बाहर विपणन किया जाने वाला प्रादा का उत्पाद, आवश्यक रूप से भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है, जब तक कि इटली/ईयू में संरक्षित न हो।

**2. अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का अभाव:**

- विश्व व्यापार संगठन के तहत कोई वैश्विक जीआई रजिस्ट्री नहीं है।
- द्विपक्षीय समझौते और क्षेत्रीय प्रणालियाँ (जैसे, लिस्बन समझौता) आंशिक उपचार प्रदान करती हैं।

**3. प्रवर्तन बोझ:**

- विदेशी अधिकार क्षेत्रों में कानूनी कार्रवाई महंगी और समय लेने वाली है।

- छोटे उत्पादक समूहों के पास कानूनी और वित्तीय क्षमता का अभाव है।

**4. पारंपरिक ज्ञान का बहिष्कार:**

- कई जमीनी अभिव्यक्तियाँ अलिखित हैं और इसलिए उनके दुरुपयोग की संभावना है।

**आगे की राह:**

**1. पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) का विस्तार करें:**

- आयुर्वेद और लोक चिकित्सा के साथ-साथ हस्तशिल्प, वस्त्र और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ शामिल करें।
- ब्रांडों के लिए एक खोज योग्य वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, ताकि वे समुदाय के सहयोग को सत्यापित और प्राप्त कर सकें।

**2. अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:**

- द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से जीआई की पारस्परिक मान्यता के लिए प्रयास करें।
- अंतर्राष्ट्रीय जीआई रजिस्ट्री के लिए WIPO और WTO मंचों का लाभ उठाएँ।

**3. नैतिक सहयोग को बढ़ावा दें:**

- ब्रांडों को पारंपरिक कारीगर समूहों के साथ निष्पक्ष-व्यापार मॉडल, लाभ-साझाकरण और सह-ब्रांडिंग में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करें।

**4. घरेलू प्रवर्तन को मजबूत करें:**

- जीआई धारक समुदायों के लिए कानूनी सहायता की सुविधा प्रदान करें।
- उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से सामूहिक लाइसेंसिंग तंत्र को सक्षम करें।

**निष्कर्ष:**

- जबकि जीआई टैग भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करते हैं, लेकिन बहुपक्षीय सहयोग और पारंपरिक ज्ञान के मजबूत दस्तावेजीकरण के बिना वैश्विक सांस्कृतिक दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए वे कानूनी रूप से अपर्याप्त हैं। भारत को प्रतीकात्मक पंजीकरण से आगे बढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक, कानूनी और कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि वैश्विक बाज़ार में इसकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, संरक्षण और उचित मुआवजा मिले।

## UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न: भारत में ग्रामीण कारीगरों और स्वदेशी समुदायों के लिए जीआई-टैग किए गए सामानों के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करें। वैश्विक बाजारों में उनकी सुरक्षा और मूल्य बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? (250 words)**

## Page : 08 Editorial Analysis

# *In a perilous world, India must read the tea leaves well*

**M.K. Narayanan**

is a former Director, Intelligence Bureau, a former National Security Adviser, and a former Governor of West Bengal

India's foreign policy is currently facing an existential crisis. The second term of the Trump administration, which had previously been welcomed by India, has upset India's carefully crafted foreign policy. The recent India-Pakistan conflict should also be viewed as a 'wakeup call'. As details of the extent of China's military connections to Pakistan and of equipment transfer tumble out, India must take notice.

Next to the China-Pakistan nexus in the region, it is India's approach to events in West Asia and the Israel-Iran conflict that clearly need a relook. India has tried, not very successfully, to sit on the fence as far as the current Israel-Iran war is concerned, but it probably needs to think through what is best in its interest. The stakes have become higher with the United States involving itself directly in the Israel-Iran conflict, which saw it using, for the first time, its GBU-57 bunker buster bomb to destroy Iran's nuclear facilities at Fordow, Natanz and another embedded nuclear site. Neutrality is no longer an option, and despite the announcement of a ceasefire, the possibility of an all-out war is a distinct possibility.

**A term that is no longer taboo**

With the use of the GBU-57 precision guided bombs, the conflict in West Asia has clearly attained a new dimension. The dreaded 'N word' is no longer taboo. Hence, the question that India needs to answer is whether it can continue to keep up its stance of neutrality. The situation is turning increasingly complex and it is no longer a mere wakeup call for India and countries across the globe. The threat has become all too real.

It may be too far-fetched to assert that a neutral India is 'friendless' in the world of today. A look at the state of affairs that concerns India would suggest, however, that this could well become the case – and that it could continue for quite some time in the future. India's professed leadership of the Global South and its patronage of nations across West Asia brought it no dividends during the recent India-Pakistan conflict. Instead, India has since been reminded – if this was needed – that it confronts two hostile nuclear powers in its neighbourhood, both of whom would have no moral compunctions in utilising nuclear weapons, if the opportunity arose. Hence, India cannot, any longer, afford to believe that its current policies are bearing fruit. A correct reading of 'the tea leaves' as they exist at present is essential for India's present and its future.

Donald Trump's 'Make America Great Again' (MAGA) policies are today adversely impacting India at levels other than just trade and economics. The U.S. President's claims to have effected a ceasefire between India and Pakistan, following the short India-Pakistan conflict in May – something that India contradicts, but which Pakistan's 'Maximum Leader' Field Marshal Asim Munir, has publicly endorsed – sets India on a collision course with the U.S. President and his Administration. Mr. Trump's lunch for Field Marshal Munir and the fact that Prime Minister Narendra Modi chose not to respond to Mr, Trump's invitation to visit Washington (while returning from the G-7 meeting in Canada), is again likely to be played up by elements in the U.S. and across the world who favour Pakistan against India.

A changing world does not seem to favour India's long-held policy prescriptions; it would be wise for New Delhi to prepare for eventualities of every kind

The Israel-Iran conflict is yet another situation in which India finds itself as an 'outlier'. 'Neutrality', in the compelling circumstances of today, is out of sync with reality as also the situation on the ground. India's tilt towards Israel in recent times, it would appear, has become something of an albatross around India's neck. India's Iran policy today has few takers beyond India's borders. Its policy of maintaining an equidistance between Israel and Iran has proved to be of little use in so far as extolling the virtues of non-alignment are concerned.

Admittedly, we live in perilous times. Today's situation does not seem to favour India's long-held policy prescriptions. Israel's premeditated attack on Iran's nuclear sites – aided by the U.S. dropping bunker buster bombs – has seen little condemnation across the world. Iran, which needed a strong voice of support like that of India's to counter the narrative of Israel, the U.S. and the West, will find little comfort in India's 'calls for restraint' on all sides. India's support and voice, based on its moral strength, would have mattered were it seen to support the victim of the attack, rather than maintain an equidistance between Israel and Iran.

It is true that in today's world, it is fashionable to denigrate consensus in favour of 'might'. For instance, at the Shangri-La Dialogue in Singapore in May, the emphasis seemed to be on the criticality of 'hard power' as against 'soft power', with dialogue taking a back seat. The stage was set by the U.S. Secretary of Defence, Pete Hegseth, who declared that a 'free and open Indo-Pacific' was a sine qua non for peace in the region, and that China's 'calls for hegemony' in Asia were untenable. He reminded the Singapore audience that 'any unilateral attempt to change the status-quo in the South China Sea and the First Island Chain by force or coercion is unacceptable'. This disturbed the normally placid atmosphere seen at the Shangri-La Dialogue, and produced a strong repartee from the Chinese delegate present. Subsequently, a Chinese Foreign Ministry Spokesman warned that the 'US must never play with fire on the Taiwan question'.

**What India needs to do**

Hence, it would be wise in the circumstances for India to prepare for future eventualities of every kind. To start with, there needs to be a detailed study of the growing China-Pakistan military connection as the India-Pakistan conflict in May this year has merely hit the 'pause button'. More importantly, India must try and better understand how deeply China's military capabilities have been meshed with those of Pakistan, the critical role being played today by Chinese weaponry in Pakistan's defence plans, and how Pakistan has managed to integrate Chinese systems with its own defence plans and procedures, including its claims of being able to lock on to hostile targets to counter an attack. Additionally, India needs more details regarding the numbers of J-10Cs and JF-17 fighters in Pakistan's inventory.

As a part of its preparations for a future conflict, India would also do well to examine whether it has the necessary wherewithal for conflicts of longer durations. The United Kingdom, for instance, recently undertook an in-depth study of its defence capabilities which helped highlight areas of critical weakness, including that of ammunition stockpiles, the need to set up a new National Armament System, and a new Cyber and Electromagnetic Command to oversee networks and electronic warfare. For India to prepare for a two front war, it should, apart from learning lessons from the Russia-Ukraine war, refine its policies on many such aspects as well. Undoubtedly, Artificial Intelligence (AI) will be a national priority. Aspects such as electro-magnetic manoeuvres to neutralise drones, loitering munitions and glide bombs that dominate the skies today in periods of conflict, should again have high priority.

**China's white paper**

While India remains preoccupied with Pakistan, it would also do well to read the fine print in China's recently published white paper on "National Security in the 'New Era'". This has a clear enunciation of Chinese strategic thinking today and mentions that 'development and security are like two wings of one body'. The white paper reads like a 'testament' on the importance of maintaining scientific and technological security at all times, and the importance of ensuring maintainability of supply chains. It also has a mention of the situation prevalent in the areas neighbouring China, underscoring the fact that these pose threats to China's borders.

To conclude, it might bear mentioning that if China intends to reinforce its strategic objectives in Asia, specially in South Asia, the criticality of its alliance with Pakistan to encircle India must not be underestimated. Also at a time, when the 'N word' is being openly bandied about, India must reckon with the fact that China has more than a 3:1 advantage over India in terms of deploying nuclear warheads, and an almost 5:1 advantage if the nuclear warheads of China and Pakistan are combined.

**Paper 02** अंतरराष्ट्रीय संबंध

**UPSC Mains Practice Question:** भारत वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने की आकांक्षा रखता है, फिर भी इसकी वर्तमान विदेश नीति प्रतिक्रियाएँ रणनीतिक अनिर्णय को दर्शाती हैं। हाल के संघर्षों और भारत की वैश्विक स्थिति के संदर्भ में इस विरोधाभास का विश्लेषण करें। (250 words)

- भारत खुद को तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में आगे बढ़ता हुआ पाता है। महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का फिर से उभरना, इजरायल-ईरान युद्ध जैसे संघर्षों का तीव्र होना, चीन-पाकिस्तान के बीच अधिक मुखर संबंध और परमाणु हथियारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण विदेश और सुरक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है। लेख तटस्थता की अपर्याप्तता को उजागर करता है और भू-राजनीतिक परिदृश्य को गलत तरीके से समझने के खतरों के बारे में चेतावनी देता है।

**मुख्य रणनीतिक घटनाक्रम:**

**1. चीन-पाकिस्तान सैन्य संबंध:**

- o पाकिस्तान की रक्षा प्रणालियों में चीनी हथियारों और प्रौद्योगिकी का गहराता एकीकरण।
- o J-10C और JF-17 लड़ाकू विमानों और मिसाइल प्रणालियों सहित संयुक्त क्षमताएं दो मोर्चों पर टकराव के जोखिम को बढ़ाती हैं।

**2. इजरायल-ईरान संघर्ष में तटस्थता:**

- o भारत द्वारा समान दूरी बनाए रखने के प्रयास ने इसे कम होते रणनीतिक प्रभाव वाले निष्क्रिय खिलाड़ी में बदल दिया है।
- o ईरान में अमेरिका द्वारा GBU-57 'बंकर बस्टर' बमों का उपयोग वर्तमान संघर्षों के परमाणु आयाम को रेखांकित करता है।

**3. वैश्विक शक्ति पुनर्गठन:**

- o ट्रम्प प्रशासन का पाकिस्तान की ओर झुकाव और फील्ड मार्शल मुनीर की मेजबानी को भारत के लिए कूटनीतिक अलगाव के रूप में देखा जाता है।
- o वैश्विक दक्षिण में भारत के नेतृत्व के दावे में हाल के संघर्षों में सार्थक लाभांश का अभाव है।

**4. हार्ड पावर बनाम सॉफ्ट पावर:**

- o शांगरी-ला डायलॉग जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच अब सैन्य शक्ति पर अधिक केंद्रित हैं।
- o चीन और अमेरिका दोनों ही बलपूर्वक प्रभाव डालते हैं, जिससे भारत को अपनी सॉफ्ट पावर-केंद्रित कूटनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

**भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के लिए चुनौतियाँ:**

**1. संकट में गुटनिरपेक्षता की नीति:**

- o सहयोगी और विरोधी दोनों ही संघर्षों में तटस्थता तेजी से अस्थिर होती जा रही है।
- o जब तक भारत एक मजबूत रुख नहीं अपनाता, तब तक रणनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ने का जोखिम है।

**2. परमाणु मुद्रा:**

- o चीन को भारत पर परमाणु हथियारों के मामले में 3:1 की बढ़त हासिल है; पाकिस्तान को शामिल करने पर यह 5:1 हो जाती है।
- o वैश्विक चर्चा (परमाणु खतरों) में "एन-शब्द" का पुनरुत्थान सैन्य तैयारियों और निवारक योजना की मांग करता है।

**3. रक्षा तैयारियाँ:**

- o भारत को लंबे समय तक संघर्षों के लिए अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:
- गोला-बारूद का भंडार
- इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएँ
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित युद्ध
- घूमते हुए गोला-बारूद और ग्लाइड बम
- साइबर और विद्युत चुम्बकीय युद्ध कमान

**4. तकनीकी संप्रभुता:**

- o चीन के हालिया श्वेत पत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया गया है - ये सभी क्षेत्र हैं जिनका भारत को अनुकरण करना चाहिए।

**भारत के लिए आगे का रास्ता:**

**1. रणनीतिक गठबंधनों को फिर से तैयार करना:**

- o प्रतीकात्मक तटस्थता से आगे बढ़ें; पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक में परिणामों को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल हों।
- o भारत के ग्लोबल साउथ विजन के तहत क्वाड, आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को गहरा करना।

**2. रक्षा सिद्धांत का आधुनिकीकरण:**

- o ब्रिटेन के समान व्यापक रक्षा ऑडिट का संचालन करना।
- o एआई, साइबर सुरक्षा, हाइपरसोनिक हथियार और विद्युत चुम्बकीय प्रभुत्व को प्राथमिकता देना।

**3. खुफिया और निगरानी में सुधार:**

- o चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग की निगरानी के लिए मजबूत नेटवर्क स्थापित करना।
- o दो मोर्चों पर समन्वित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना।

**4. मुखर कूटनीति की नीति:**

- o भारत को बिना किसी स्पष्ट गठबंधन के ताकत का प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मुखरता अपनानी चाहिए।
- o जहां उचित हो, वहां नैतिक स्पष्टता की स्थिति से बोलने की जरूरत है, जैसे कि संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले पूर्व-आक्रमण का विरोध करना (जैसे, ईरान में)।

**निष्कर्ष:**

- भारत का रणनीतिक परिदृश्य परमाणु अतिरेक, हाइब्रिड युद्ध और बदलते गठबंधनों से भरा हुआ है। तटस्थता और सॉफ्ट पावर कूटनीति का पारंपरिक आराम तेजी से सख्त वैश्विक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो रहा है। भारत के लिए अब समय आ गया है कि वह "भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह समझे", अपने खतरे की धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करे, तथा एक अधिक अप्रत्याशित, बहुध्रुवीय विश्व के लिए तैयार हो जाए, जहां रणनीतिक अस्पष्टता अब कोई विकल्प नहीं रह जाएगी।